10/A

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

प्रकरण संख्या 02/16 तारीख रजू 29/03/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। –सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री शिवम् पुत्र बनवारी जाति हरीजन निवासी हरिजन मौहल्ला फब्बारा चौक गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर । ––गेर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय दिनांक– 22.2.18

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल(अप्रार्थी) श्री शिवम् पुत्र बनवारी जाति हरीज़न निवासी हरिजन मौहल्ला फब्बारा चौक गंगापुर सिटी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल(अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना गंगापुर सिटी मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	थ्दनांक	फैसला
1	435/12	25.05.12	147,148,149, 323,341,427 भा0द0स0	167	31.05.12	जैर विचारण
2	263/14	07.04.14	147,148,149, 323,452 भा0द0स0	133	21.04.14	जैर विचारण
3	450/15	12.06.15	323,341,34 भा0द0स0	199	25.06.15	जैर विचारण
4	623/15	26.08.15	323,327,452,34 भा0द0सं0	311	27.10.15	जैर विचारण
5	624/15	27.08.15	143,341,323, भा0द0स0	307	22.10.15	जैर विचारण
6	151 जा0फौ0				30.08.15	जमानत पर पाबन्द

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। उक्त प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है इस प्रकार श्री शिवम् पुत्र बनवारी जाति हरीजन निवासी हरिजन मौहल्ला फब्बारा चौक गंगापुर सिटी से आमजन का परिवार संकट में पड़ गया है। गैरसायल सम्पूर्ण समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। जिसकी खतरनाक प्रवृति को देखकर कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट व गवाही देने से डरता है । ऐसी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

स्थिती में गैरसायल का इलाका थाना में रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है।अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट,चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 के नियम–4 मे उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिाषक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 6 मुकदमें दर्ज है एवं समस्त मुकदमें वर्तमान में सबंधित न्यायालय में विचाराधनी है। इस प्रकार गैरसायल से आमजन का परिवार संकट में पड़ गया है। गैरसायल सम्पूर्ण समाज के लिए खतरनाक हो चुका है। जिसकी खतरनाक प्रवृति को देखकर कोई भी व्यक्ति अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट व गवाही देने से डरता है । ऐसी स्थिती में गैरसायल का इलाका थाना में रहना आमजन के लिए परिसंकटमय हो गया है।अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि पुलिस ने गलत तथ्यो के आधार पर गेर सायल के विरूद्व इस्तगासा पेश किया है जो ड्राप किये जाने योग्य है। पुलिस ने गैरसायल के विरूद्ध राजनैतिक द्वेषता व रंजित वंश मुकदमे दर्ज कराये गये थे। उक्त मुकदमें सभी वर्तमान में संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है । जब तक संबधित न्यायालय में मुकदमों का निर्णय नहीं हो जाता तब तक गैरसायल को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। सायल ने उक्त इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है। जबकि गैरसायल का एक भी मुकदमें में दोष सिद्ध नहीं हुआ है। अतः उक्त इस्तगासा प्रारम्भ से ही शून्य है, साथ ही वकील गैरसालय ने गैरसायल खिलाफ प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र मे कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गेर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भली भांती अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पंहुंचा हु कि सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में गैरसायल के विरूद्ध 6 मुकदमें जर्द होना बताया है, लेकिन सभी मुकदमें वर्तमान में संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है, अर्थी की और से किसी भी मुकदमें के निर्णय की प्रति न्यायालय हाजा में पेश नहीं की है, जिससे एक भी मुकदमें में गैरसायल को दोष सिद्ध होना स्पष्ट होता हो। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धरा 3 में स्पष्ट प्रावधान है कि सायल द्वारा इस्तगासा पेश करने से पूर्व छः

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

12/A

माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपराध कारित करते हुए पाया जाना आवश्यक है लेकिन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गैरसायल स्पष्ट रूप से एक भी मुकदमें में अपरा कारित होना सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार छः माह की अवधि में गैरसायल द्वारा तीन बार अपरा सिद्व न होने के कारण गैरसायल गुण्डा की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सायल द्वारा गैरसायल के खिलाफ प्रस्तुत किया गय अभियोग –पत्र अस्वीकार किया जाकर गैरसायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनिय की धारा 75 की कार्यवाही ड्राप की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.2.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाय गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सवाईमाधोपुर